न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान सुठी देवी बनाम तीजा देवी

मुकदमा संख्या / वर्ष टी0आई0 73 / 2024

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30/5/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश यादव एवं अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री रामगोपाल चौधरी हाजिर। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम निवारु, पटवार हल्का निवारु, भू0अ0नि0 क्षैत्र झोटवाड़ा तहसील व जिला जयपुर के खसरा नम्बर 345 / 597 रकबा 2.2258 है0 भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त, कब्जे काश्त, सहखातेदारी की कृषि भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण मनबट के अनुसार मौके पर अपने-अपने हिस्से पर काबिज है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिक विभाजन करवाये ही वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर अनाधिकृत कब्ज़ा कर निमार्ण करने, विक्रय, हस्तानान्तरण, खुर्द-बुर्द करने पर उतारू है। उसे उसकी कब्जे की भूमि से जबरिया बेदखल कर कर कब्ज़ा कर निमार्ण करने, बेचान, हस्तानान्तरण करने तथा उक्त भूमि को छोटे-छोटे भूखण्डों में विभक्त कर कॉलोनी काट देने की ऐलानिया धमकी देते है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर किसी विशिष्ट भू-भाग का बेचान, अन्तरण, हस्तानान्तरण, किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नहीं करने तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन किया गया है। अप्रार्थीगण की विधिवत् तामील पूर्ण करवाई गई। बावजूद सम्यक् तामील एवं समुचित अवसर उपरांत भी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 की ओर से पैरवी हेतु कोई उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधि0 अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 04.10.2024 को प्रार्थी एवं मिन उत्तरदाता के मध्य किसी प्रकार की कोई वार्तालाप नहीं हुई, ना ही मिन उत्तरदाता द्वारा प्रार्थी को किसी प्रकार की धमकी आदी दी गई। प्रार्थी, अप्रार्थी को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी नहीं	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2025.05.14 15:00:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

30/4/25

हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 05 ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण काफी वर्षो पूर्व से ही उक्त भूमि का मनबट के आधार पर काबित काश्त हैं एवं अपने अपने हिस्सों की भूमि पर अपने पुख्ता मकानता बना रखे हैं व बिजली एवं पानी के कनेक्शन प्राप्त कर उपयोग–उपभोग कर रहे हैं। मिन अप्रार्थी संख्या 5 व अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी प्रार्थीया को उक्त आराजीयात को बैचने की धमकी नहीं दी गई है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र केवल मिन अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से प्रस्तुत किया है, जो कि खारिज किए जाने योग्य हैं।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन कर न्यायालय यह पाता है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है, चूंकि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र, दावा बाबत् विभाजन के साथ पेश किया है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार है। विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अविभाजित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी का इंच टू इंच में हिस्सा निहित होता है।

अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय–वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि अवस्थित ग्राम निवारु, पटवार हल्का निवारु, भू0अ0नि0 क्षैत्र झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर के खसरा नम्बर 345/597 रकबा 2.2258 है0 पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। यह व्यादेश कृषि कार्य व सरकारी योजनाओं पर लागू नहीं होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2025.05.14 15:30:49 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 30/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुदा हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम